न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 22/2024
जीसीएमएस. नम्बर :: 2024/97

अपीलाण्ट :–

श्री प्रभू पुत्र श्री टीकम पटेल, निवासी खुटाणी तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. पोकरराम पुत्र श्री पेमाराम पटेल
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री पोकरराम पटेल
3. पेमाराम पुत्र नारायणराम पटेल
4. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री पेमाराम पटेल

   तमाम निवासीगण खुटाणी, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
5. सरकार जरिये भूमिधारी नायब तहसीलदार जैतपुर जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी
रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 23.12.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूं राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध मौजा ग्राम खुंटाणी के स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1142 दिनांक 21.05.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी व रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो व वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम खुटाणी पटवार हल्का खुटाणी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली की सरहद में स्थित खसरा संख्या 57 रकबा 5.0181 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की सहखातेदारी कृषि भूमि स्थित है। उक्त सहखातेदारी कृषि भूमि में अपीलाण्ट का 3/4 वां हिस्सा स्थित था। सिमें रेस्पो. संख्या 01 ने फर्जी व कूटरचित आम मुख्तियारनामा दिनांक 24.12.2013 को तैयार करवाकर एवं अपीलाण्ट को धोखे में रखकर 7–8 खाली पेपर पर अंगुष्ठ निशान करवा दिये जबकि अपीलाण्ट द्वारा स्वस्थचित हालात में कोई अंगुष्ठ निशान नहीं किये है। अपीलाण्ट वर्ष 2012 से लगाकर 04–05 वर्ष तक मानसिक मनोरोग से पीड़ित था, जिसका नियमित रूप से ईलाज जारी था, ईलाज का बहाना बनाकर रेस्पो. संख्या 01 ने दिनांक 24.12.2013 को अपीलाण्ट की कृषि भूमि में से रकबा 01 बीघा

जिला कलेक्टर, पाली

05 बिस्वा भूमि का फर्जी आम मुख्तियारनामा निष्पादित करवा दिया, धोखे से तैयार किये गये आम मुख्तियारनामा की हैसियत से दिनांक 21.05.2024 को रेस्पो. संख्या 02 से लगायत 04 के पक्ष में पंजीयन करवा दी एवं फर्जी आम मुख्तियारनामा के आधार जो पंजीयन करवा गया एवं उसी के आधार पर जैर स्वतः नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण फर्जी व कूटरचित होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी स्वयं ने यह कथन किया कि विवादित आम मुख्तियारनामे के आधार पर जो बेचाणनामा निष्पादित किया है उसे निरस्त करवाने का एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है एवं जब तक सिविल न्यायालय उक्त बेचाणनामे के संबंध में अपना निर्णय पारित नहीं कर देता तब तक अपीलार्थी की उक्त अपील सारहीन है। अपीलार्थी ने रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में आम मुख्तियारनामे के साथ–साथ उसी दिन दिनांक 24.12.2013 को बेचाण इकरारनामा एवं वसीयतनामा भी निष्पादित किया था उसे अपीलार्थी ने उक्त सिविल वाद में चुनौती नहीं दी है जिस कारण भी अपीलार्थी का जैर अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त तीनों दस्तावेज यथा आम मुख्तियारनामा, वसीयतनामा व इकरारनामा एक ही दिनांक 24.12.2013 को अपीलार्थी द्वारा रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित किये है परन्तु अपीलार्थी द्वारा वसीयतनामा एवं इकरारनामा को आज दिन तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। साथ ही तीनों दस्तावेजों में अपीलार्थी के पुत्र द्वारा ही साख दी गई है फिर भी अपीलार्थी द्वारा जैर अपील कूटरचित आधारों पर प्रस्तुत की गई है जो सारहीन होने काबिले खारिज है। अतः अपील सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि रेस्पो. संख्या 01 ने अपीलाण्ट की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से धोखे में रखकर खाली पेज पर अंगुष्ठ निशान करवाकर आम मुख्तियारनामा निष्पादित कर रेस्पो. संख्या 02 लगायत 04 को उसकी खातेदारी भूमि का बेचान कर दिया जिसके आधार पर स्वतः स्वीकृत विवादित नामान्तरकरण दर्ज हुआ, उससे रूष्ट होकर जैर अपील प्रस्तुत की है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपने जवाब में प्रमुख उज्र यह लिया है कि अपीलार्थी स्वयं ने यह कथन किया कि विवादित आम मुख्तियारनामे के आधार पर जो बेचाणनामा निष्पादित किया है उसे निरस्त करवाने का एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है एवं जब तक सिविल न्यायालय उक्त बेचाणनामे के संबंध में अपना निर्णय पारित नहीं कर देता तब तक अपीलार्थी की उक्त अपील सारहीन है। अपीलार्थी ने रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में आम मुख्तियारनामे के साथ–साथ उसी दिनांक 24.12.2013 को बेचाण इकरारनामा एवं वसीयतनामा भी निष्पादित किया था उसे अपीलार्थी ने उक्त सिविल वाद में चुनौती नहीं दी है जिस कारण भी अपीलार्थी का जैर अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त तीनों दस्तावेज यथा आम मुख्तियारनामा, वसीयतनामा व इकरारनामा एक ही दिनांक 24.12.2013 को अपीलार्थी द्वारा रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित किये है परन्तु अपीलार्थी द्वारा वसीयतनामा एवं इकरारनामा को आज दिन तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

है। साथ ही तीनों दस्तावेजों में अपीलार्थी के पुत्र द्वारा ही साख दी गई है। अधिवक्ता विपक्षी का एक अन्य उज्र कि अपीलाण्ट स्वयं द्वारा उक्त दिनांक 24.12.2013 से पूर्व व पश्चात भी अलग–अलग व्यक्तियों के नाम बेचाननामे निष्पादित किये है फिर भी अपीलाण्ट द्वारा आज तक किसी अन्य बेचाननामा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है।

समग्रतः समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित नामान्तरकरण अपीलाण्ट द्वारा निष्पादित आम मुख्तियारनामा के आधार पर किये गये बेचान से स्वतः स्वीकृत हुआ है। चूंकि उभयपक्षों के कथनों से यह स्पष्ट है कि विवादित आम मुख्तियारनामे से संबंधित एक वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है व आम मुख्तियारनामा की विधिकता/सत्यता की जांच का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है एवं जैर विवादित नामान्तरकरण उक्त आम मुख्तियारनामा के आधार पर किये गये बेचान से स्वतः स्वीकृत हुआ है जिसमें न्यायालय हाजा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाता है। जैर नामान्तरकरण पंजीकृत बेचाननामे के आधार पर दर्ज किया गया है तथा पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण तथा आम मुख्तियारनामे की सत्यता/विधिकता की जांच हेतु वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित होने के कारण नामान्तरकरण की summery procedings में न्यायालय हाजा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता। समग्र रूप से उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner